

150

निग 05413/2018/सतना/शुल्का

न्यायालय माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट
कोर्ट रीवा (म0प्र0)



1. मुनिवर सिंह पिता रामसिया सिंह
2. राजेन्द्र सिंह पिता रामसिया सिंह
3. यशोदा नन्दन सिंह तनय चूड़ामणि सिंह
4. रामबालक सिंह तनय चूड़ामणि सिंह
5. रामनिहोर सिंह पिता शिवधारी सिंह (मृतक) वारिसान- मथुरा सिंह तनय स्व. रामनिहोर सिंह.
6. लक्ष्मण सिंह तनय दीनबन्धु सिंह
7. सुग्रीव सिंह तनय दीनबन्धु सिंह
8. शिवरतिया पत्नी दीनबन्धु सिंह (मृतक)

सभी निवासी ग्राम-महिदल कला, तहसील-रामपुर बाघेलान,
जिला-सतना (म0प्र0) —————निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामाश्रय तनय मुकुन्द प्रसाद
2. बाल्मीक प्रसाद तनय हीरालाल ब्राम्हण (लावलद फौत)

सभी निवासी ग्राम-महिदल कला, तहसील-रामपुर बाघेलान,
जिला-सतना (म0प्र0) —————प्रत्यर्थागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) (लिक कोर्ट
सतना/सीधी) (श्री बी.एस. कुलेश)
प्रकरण क्र. 286/अपील/2004-05 में
पारित आदेश दिनांक 25.07.2018.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

150

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0-5413/2018/सतना/भू-रा0

जिला-सतना

मुनिवर सिंह वगैरः/ रामाश्रय

(1)	(2)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री छत्रपाल सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 286/अपील/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>

भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

